

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद — चमोली

वृत्त का नाम:—

7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :—

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

कार्य का नाम:—

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल

:- 2.10 हे० (सिविल वनभूमि)
0.35 हे० (वन पंचायत वनभूमि)
0.09 हे० (मक डिस्पोज सिवल भूमि)
2.54 हे०

CHECK LIST

②

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)		Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached



Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत दुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों

मानचित्र संलग्न है।

(3) परियोजना की लागत

रु0 125.80 लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ ग्राम कौंज पोथनी, खान्डरा, बौला को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

2.54 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

तिथि - 17-2-2016

स्थान - गोपेश्वर

(आदर्श गोपाल सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

प्रा.खं. लो.नि.वि.

गोपेश्वर

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -	डुंग्री- कौज पोथनी- बोला
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	2.54 है०
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति:	पंचायत भूमि/ सिविल भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	पंचायत भूमि/ सिविल भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा	संलग्न।
4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	2.50 किमी०
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नहीं
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं

8. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	निम्नानुसार
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
9. किए गए अतिक्रमण के व्योरे :	नहीं
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	लागू नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/ नहीं)	संलग्न है।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्योरे :	सिविल सोयम भूमि
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्योरे दें।	संलग्न
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्योरे संलग्न हैं (हां/ नहीं)।	संलग्न
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न।
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/ नहीं)।	संलग्न।
11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं)।	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।
12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	

स्थान: गोपेश्वर

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
उप वन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेश्वर

भाग - 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज - पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- ▬ Reserve Forest Boundary
- ▬ Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

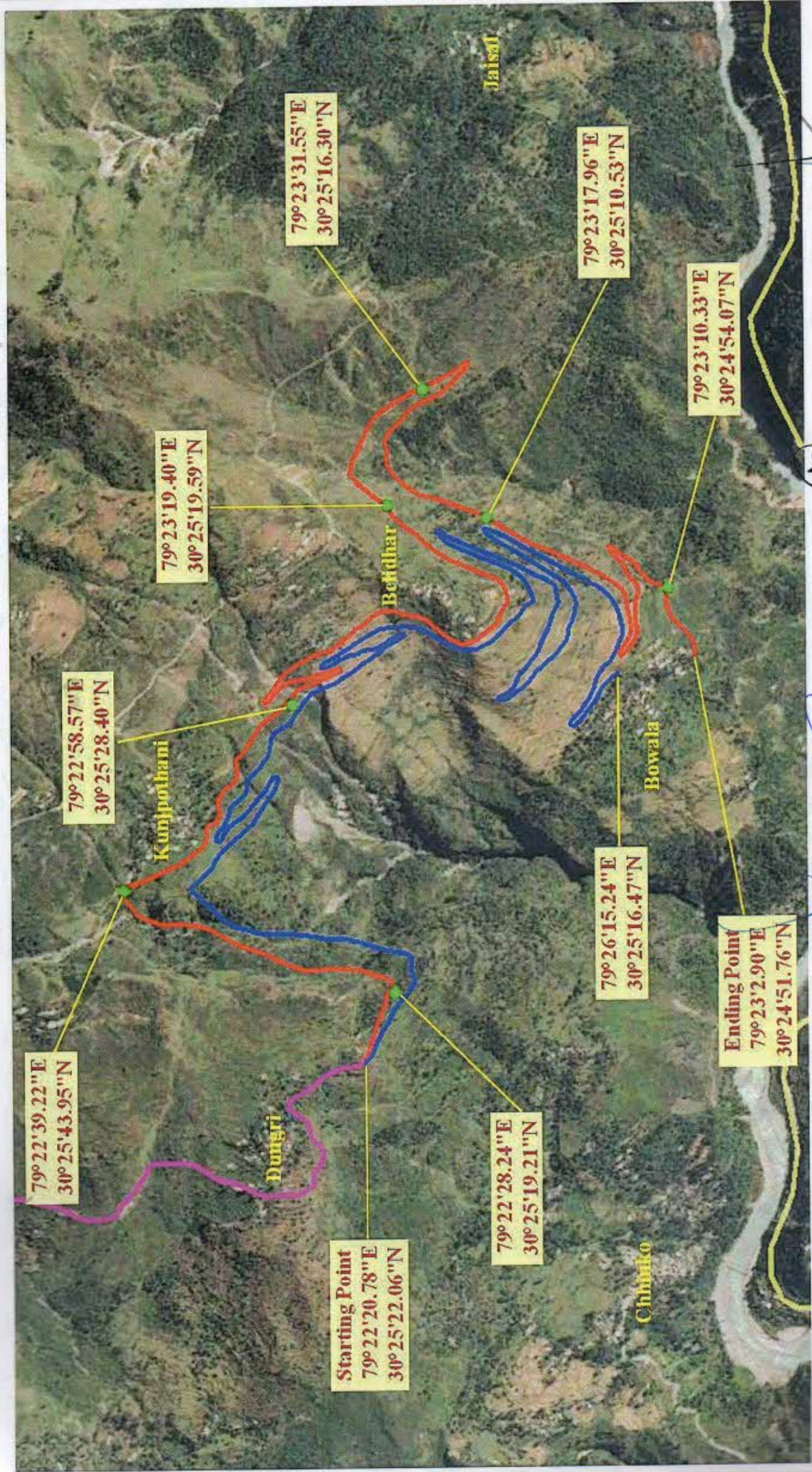
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
गोपेश्वर रेंज
कदारनाथ वन्य जीव

उप प्रान्तीय अभियन्ता
गोपेश्वर उप वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
कदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्रा स काज - पीथनी -
 बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



- Legend**
- Muck Disposal
 - Proposed Road
 - Alternate Road
 - Existing Road

उप वन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रकल्प
 गोपेश्वर

वन विभाग
 चमोली जिला
 केदारनाथ वन्य जीव

उप प्रभाषीय प्रमोदिका
 गोपेश्वर

उप प्रभाषीय प्रमोदिका
 गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०
 गोपेश्वर

अधियासी अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०
 गोपेश्वर

Justification

Name of The Project :-

**Construction of Kounj-Pothani-Bounla Motor Road From
Dungri . Under State Sector.**

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Kounj-Pothani, Bounla etc. have to walk through a distance of 3.00 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Aloo, Green Vegetable etc. on their feet or by mules to the nearby market. These villages are also ST villages.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.54 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.54 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.



**Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar**



**Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar**

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 10.08.2016

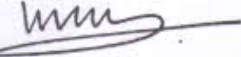
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.54 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kunj-Pothani-Bounla motor road form Dungri Under PWD Gopeshwar, Length 7.00 Km (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.54 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 10.08.2016 at time 13:00/14 at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 2.54 hect for the Construction of Kunj-Pothani-Bounla motor road form Dungri Under PWD Gopeshwar, Length 7.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10-08-2016

Signature

10.08.16
(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में
डुंग्री-कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री-कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे. सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 29/01/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री शमजी शरण शर्मा | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री सुरेश कुमार | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री शिवकुमार अवस्थी | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री जसपाल नाथ | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री-कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी

अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
संस्थापक सचिव
वि० ख० दशोली (चमोली)

क्षेत्र पंचायत सदस्य

ग्राम सभा/पंचायत
वि० ख० दशोली (चमोली)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री-कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री-कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 2.45 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

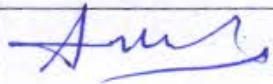
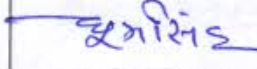
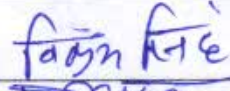
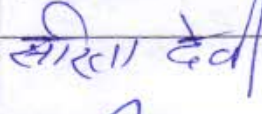
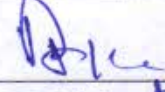
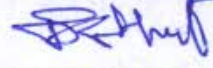
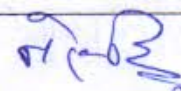
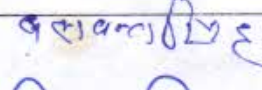
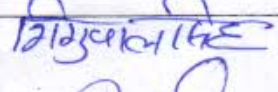
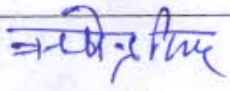
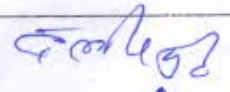
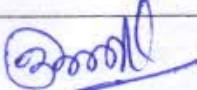
चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 2.45 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के दिने परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 10.12.015 को ग्रामसभा कौजपोखरी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Anamya...	
(2)	श्रीधर सिंह रावत बेली	
(3)	विक्रम सिंह .. कौज	
(4)	"दुल्ली लाल	
(5)	गंगाधर सिंह राणा	
(6)	श्रीमती लक्ष्मी देवी वें पचायत सरपंच	
(7)	जयदीप सिंह	
(8)	गुणकर सिंह	
(9)	नितेश सिंह	
(10)	श्री नरेन्द्र सिंह	
(11)	नमन सिंह	
(12)	विशुपाल सिंह	
(13)	सुरेन्द्र सिंह	
(14)	चतुर्धर सिंह	
(15)	दलीप सिंह	
(16)	अवतार सिंह रावत	



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 10.12.2015 को ग्रामसभा कौजरीदेवी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17-	बाल सिंह	बालसिंह
18-	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
19	श्रीमती मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
20	राजेन्द्र सिंह लाल	राजेन्द्र लाल
21	जिन्दर कुमार	जिन्दर
22	श्रीमती माहेश्वरी देवी	माहेश्वरी देवी
23-	श्री हिवालाल	हि वालाल
24.	राकेश लाल	राकेश
25	श्रीमती कविता देवी	कविता देवी
26	1. संग्रामी देवी	संग्रामी देवी
27	किशोरी लाल	किशोरी लाल
28	मरेन्द लाल	मरेन्द लाल
29	रामदत्त लाल	रामदत्त लाल
30	दुल्लू लाल	दुल्लू लाल
31	देव लाल	देव
32	सुलेचना देवी	सुलेचना देवी



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 15.12.2015 को ग्रामसभा बोंला की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री कृंवर सिंह (सरपंच ग्राम पंचायत बोंला)	गिरधर सिंह
(2)	मनोहर सिंह	मनोहर
(3)	पंकज सिंह	शुभ
(4)	रवि कुमार	रवि
(5)	महबूब सिंह	महबूब
(6)	सतीश नेगी	साहू
(7)	हरीश नेगी	मनोहर
(8)	शशांक	शशांक
(10)	जयदीप सिंह	जयदीप
(11)	धर्म सिंह	धर्म
(12)	अपेक्षित	अपेक्षित
(13)	लक्ष्मी सिंह	लक्ष्मी
(14)	अजय सिंह नेगी	अजय
(15)	विनीता	Vineeta
(16)		
(17)		



प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1648/111-2/13-52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 125.80 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। किन्तु ग्राम बौला मात्र 7.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग से जुड़ रहा है। इसलिये मार्ग 7.00 किमी0 लम्बाई में ही वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसके विरुद्ध मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.09 हे0 कुल 2.54 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम कौंज, पोथनी, खान्डरा, बौला आदि ग्रामों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (6) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 2.54 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 7.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 7.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.09 हे0 कुल 2.54 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अदिशासी अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 04 मार्च, 2013

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 107.27 किमी0 + 04 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 945.87 लाख (₹ नौ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 27 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 2.70 लाख (₹ दो लाख सत्तर हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

द्वारा प्रति सत्यापित

महिमा

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

516
13/3/13

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 38.50 किमी0 + 03 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 499.70 लाख (₹ चार करोड़ निम्नानवे लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के नियमों में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2012/111(2)/13-55(प्रो0आ0) द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या अनुपालन किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार शासन के शासनादेश सं0:-2012/111(2)/13-55(प्रो0आ0) के अन्तर्गत जिला तथा जिला स्तर पर कार्य कराते समय या अनुपालन किया जायेगा।

चायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

14	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कैथोगी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.00	25.20	0.10
15	जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6.00	75.60	0.10
16	जनपद पौड़ी गढ़वाल में चाक्यू-डोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
17	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ल्वा-दिगोली- श्रीकोट- मायापुर मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.74	0.10
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल में काण्डी-सिंगटाली मोटर मार्ग से ग्राम खण्ड तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	1.50	18.90	0.10
19	जनपद हरिद्वार के वि०सभा क्षेत्र झबरेड़ा के लाठरदेवा गणेश मन्दिर के सीलाखाल होते हुए कोटवाल तक पी०सी० द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण एवं सेतु निर्माण का कार्य।	2.25 + 20 mt	17.42 (3.60 + 13.82 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
20	जनपद अल्मोड़ा में चचरोटी मुख्य मार्ग से छियाड़ी बाजार मिलान।	2.80	35.28	0.10
21	जनपद उधमसिंहनगर में प्रतापपुर खुदागंज मार्ग पर परवीन नदी पर 45 मी० स्पान प्रीस्ट्रल पुल का निर्माण।	45 mt.	4.50	0.10
22	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल-कुठार मोटर मार्ग के स्थान मस्ट से कलसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
23	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में जुंगरी से कुंज पोथनी बाँला मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	125.80	0.10
24	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के झबरेड़ा से मंगलौर मार्ग का बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	9.00	14.40	0.10
25	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम बिस्वाखड़ी के ग्राम गदरजूड़ा तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.61 (3.60 + 13.82 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
26	जनपद अल्मोड़ा में गैरखेत-बल्मरा-सराईखेत मोटर मार्ग के किमी० 36 से सराईखेत तक मिलान।	3.50	44.10	0.10
27	जनपद अल्मोड़ा में तल्ली चन्याड़ी में मुख्य मोटर मार्ग से प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण।	2.22	27.72	0.10
	योग:-	107.27 + 04 brg	945.87	2.70

(कुल दो लाख सत्तर हजार मात्र)

स्वायत्त सत्यापित

सहायक अभियंता
प्रा० सी० ए० वि०
गोश्वर

महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 7.1.16 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जी.एस.के.देह, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री सोहन सिंह विष्ट, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती कुसुम भट्ट, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.45 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 1.54 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3500 मी० नाप भूमि से, 3000 मी० सिविल भूमि से, 500 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.45 हे० नाप भूमि 2.10 हे० सिविल भूमि 0.35 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.45 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष व नापभूमि वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2500 मी० नाप भूमि से, 4000 मी० सिविल भूमि, 500 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 1.75हे० नाप भूमि, 2.80 हे० सिविल भूमि, 0.35 हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.15 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान 79°22'20.78" - E, 30°25'22.06" - N है तथा यह स्थल कौंज-पोथनी-बौला मोटर मार्ग के डुंग्री नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम बौला है, जिसका जी०पी०एस० मान 79°23'2.90" - E, 30°24'51.76" - N है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°22'20.78"-E, 30°25'22.06"-N, 79°22'28.24"-E, 30°25'19.21"-N, 79°22'39.22"-E, 30°25'43.95"-N, 79°22'58.57"-E, 30°25'28.40"-N, 79°23'19.40"-E, 30°25'19.59"-N, 79°23'10.33"-E, 30°24'54.07"-N, 79°23'2.90"-E, 30°24'51.76"-N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

अमीन
को.प्रमाणित



सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि,
गोपेश्वर

पटवारा दिनांक

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी

वन विभाग
गोपेश्वर रेंज
केंद्राध्यक्ष वन्य जीव

विनोद कुमार

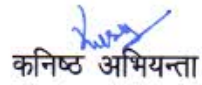
उप निरीक्षक

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमोल


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
-गोपेश्वर

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	लिक रोड डुंग्री मोटर मार्ग के किमी. से ग्राम कुंज, पोथनी, बौला को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 10.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु यह संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम कौंज, पोथनी, बौला की सहमति प्राप्त है।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	7.00 किमी.	7.50 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 3. सिंचित 4. असिंचित	4.175 किमी. शून्य 2.825 किमी.	3.25 किमी. शून्य 4.25 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	शून्य	शून्य
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	1:20 R	1:17 R
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	40 से 60 तक 20 से 40 तक	50 से 70 तक 30 से 50 तक
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	0.800 किमी. 2.025 किमी.	1.00 किमी. 3.25 किमी.

Due
कोआ

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का विकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	किमी. 1.00 में 2 नं. 12 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया	किमी. 1.00 में 2 नं. 12 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग मात्र ग्रीष्म ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लगाविविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. कौंज पोथनी 671 बौला 492	समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	लिक रोड डुंग्री मोटर मार्ग के किमी. से ग्राम कुंज, पोथनी, बौला को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 10.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु यह संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम कौंज, पोथनी, बौला की सहमति प्राप्त है। जिससे इस गांव की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	—	—
19.	हेयर पिन बैंड	5 नं.	6 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू, दाल, सब्जी आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम लम्बाई में पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 5. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा तथा छोटे विस्तार के पुलियाओं का निर्माण किया जाना है। 6. इस संरेखण में मात्र 5 एच.पी. बैंड आ रहे, जिससे मार्ग के स्थाईत्व को कोई भी खतरा नहीं है।	1. कठोर चट्टानें कम लम्बाई में पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के खेतों की क्षति होने की सम्भावना है, साथ ही उक्त संरेखण में वृक्षों की संख्या भी अधिक आ रही है। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के लिए अधिक मुआवजा देने की प्रबल स्थिति बनी हुई है। 3. वन भूमि अधिक पड़ने की सम्भावना के कारण तथा इस संरेखण की लम्बाई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है। 4. अधिक लम्बाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं। 5. इस संरेखण में मात्र 6 एच.पी. बैंड आ रहे, जिससे मार्ग के स्थाईत्व हेतु अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य करने पड़ेंगे।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधियासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है। मार्ग केवल 7.00 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है।

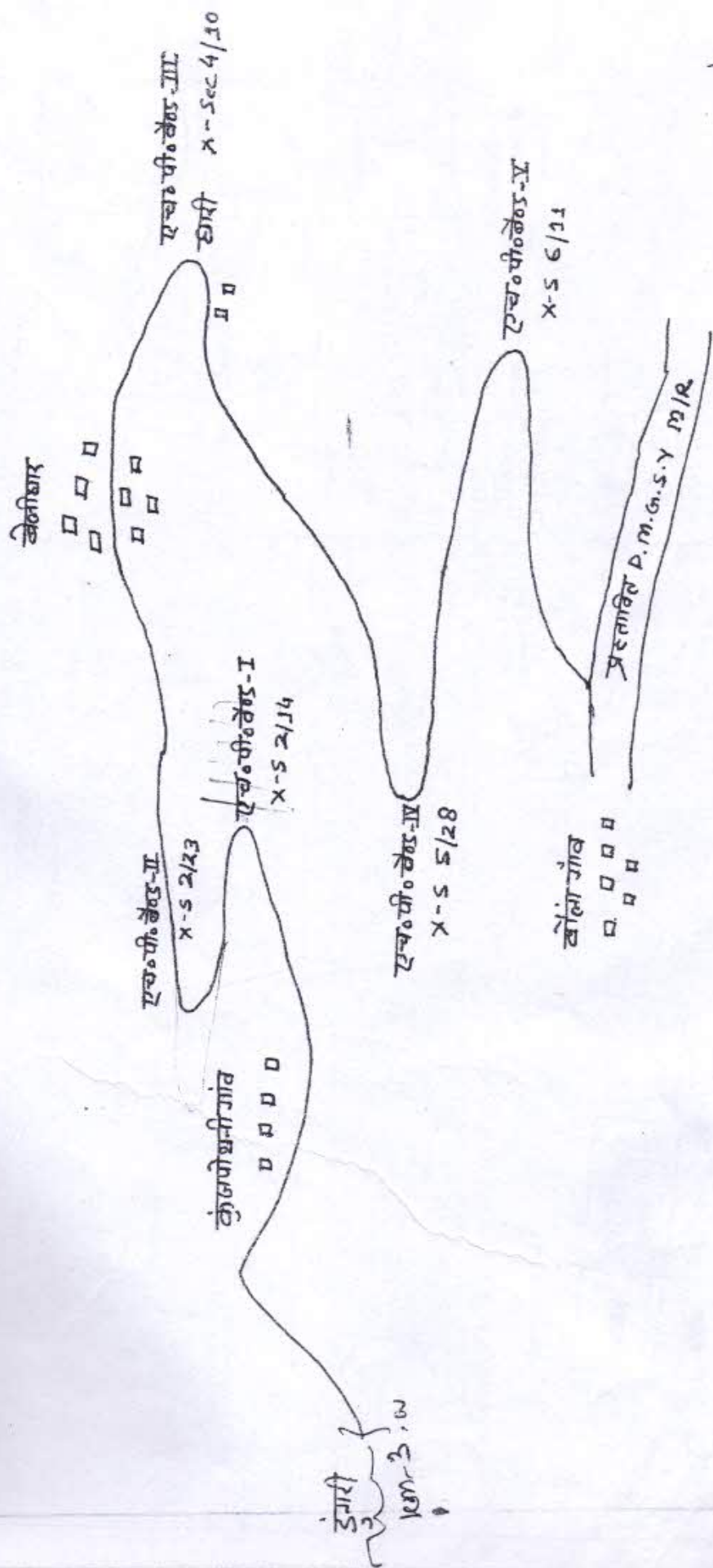
अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर


अधिसासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

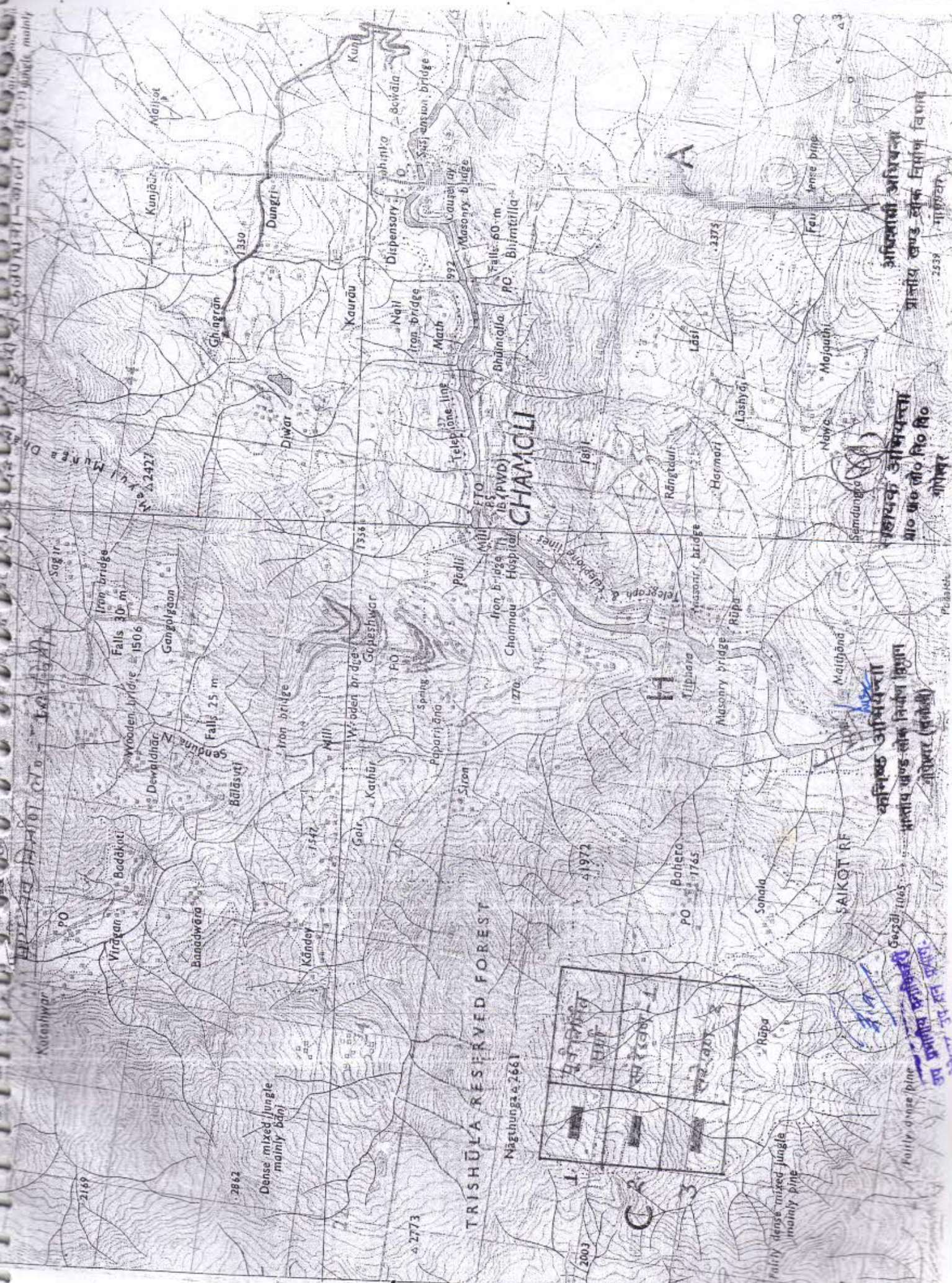
अ. ज. न. र. अ. न. उ. च. म. ल. व. त. व. का. सर. व. ड. द. श. ली. में हु. ग. र. कुं. ल. पो. श. नी. मो. ट. र. स. र्ग. का. नि. र्माण.
 लम्बाई - 7.00 कि.मी.



कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 (JUNIOR ASSISTANT ENGINEER)

सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 (ASSISTANT ENGINEER)

अभियन्ता की अधीनस्थ
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 (EXECUTIVE ENGINEER)



आयक अभियन्ता
पा० प० लो० नि० वि०
गोपबन्ध

कनिष्ठ अभयन्ता
स्ताय खण्ड-लोक न्याय विभाग
गोपेन्द्र (बनोदी)

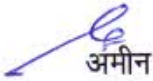
1005
505501
1005

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
चमोली

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल/वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सचिव)
चमोली

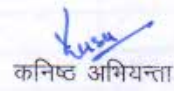

उपजिलाधिकारी,
चमोली

लैण्ड शैड्यूल (मिविल)

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	14	34.506	2.190
		योग :-	14	34.506	2.19


अमीन


कनिष्क अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उपराजस्व निरीक्षक


तहसीलदार
(सदर)
चमोली

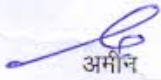

उपजिलाधिकारी,
चमोली
उप जिलाधिकारी
कर्मदाय

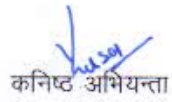

24/8/17
जिलाधिकारी
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

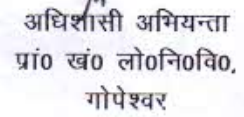
कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-500	500	--	0.350	--	--
500-1000	500	--	--	--	0.350
1000-1500	500	--	0.350	--	--
1500-2500	1000	0.700	--	--	--
2500-3000	500	--	0.350	--	--
3000-4000	1000	0.700	--	--	--
4000-5500	1500	--	1.050	--	--
5500-7000	1500	1.050	--	--	--
				--	--
				--	--
Muck Disposal			0.090		--
Total -	7000	2.450	2.190		0.350


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

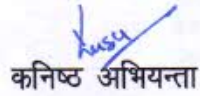
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 2.45 हे० नाप, 2.10 हे० सिविल, 0.35 हे० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.090 हे० सिविल वनभूमि, कुल 2.54 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

3000 मी० x 7 मी० =	21500 वर्ग मी०	-	2.10 हे० सिविल वनभूमि
500 मी० x 7 मी० =	3500 वर्ग मी०	-	0.35 हे० वन पंचायत
3500 मी० x 7 मी० =	24500 वर्ग मी०	-	2.45 हे० नाप वनभूमि
50 मी० x 6 मी० x 7 =	900 वर्ग मी०	-	0.090 हे० सिविल वनभूमि (मक डिस्पोजल)


 अमीन

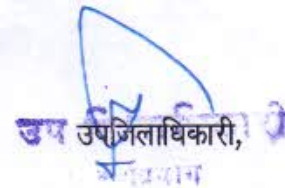

 कनिष्ठ अभियन्ता


 सहायक अभियन्ता


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०,
 गोपेश्वर

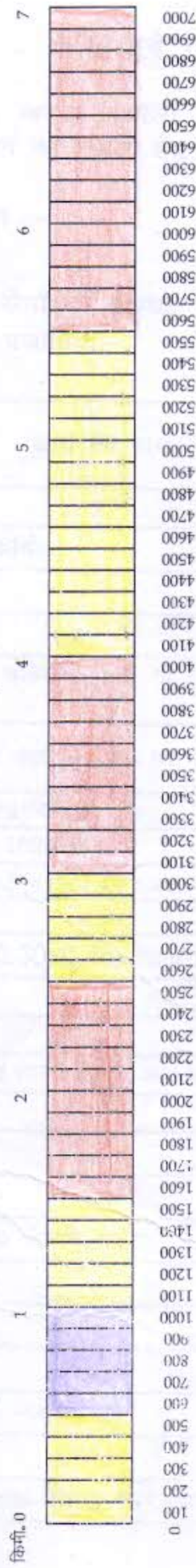

 पटवारी


 तहसीलदार
 (सदर)
 चमोली


 उप जिलाधिकारी,
 चमोली

बार चार्ट

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



संकेत

सिलविल वनभूमि

वन पंचायत

नाप वन भूमि

अधिकांसी अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

अनीन

रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

1- परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- 2.54 है०

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 7.80 किमी० = 2.54 x 2000 = 5080

5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:-

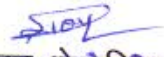
क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.500	Hec	85.00	212.50
2	स्थल की सफाई कार्य	2.500	Hec	2630.00	6575.00
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.)	2.500	hect	15795.00	39487.50
	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य के आधार पर मानते हुए				
4	1 वानस्पतिक - 4X 4734 = 18936.00				
	2 स्टोन चैकडैम 4X 4734 = 18936.0				
	3 वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 X 2.50X1.00) 4X 5306 = 21224				
	योग = 59096.00	2.500	hect	6440.00	16100.00
5	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेंखाकन चूना सहित	5080.000	No	5.59	28397.20
6	निरीक्षण बटिया	2.500	Hect	644.00	1610.00
7	पौधों की कीमत	5080.000	No	5.00	25400.00
8	अन्य व्यय, यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व अन्य कार्यों पर व्यय	2.500	Hect	644.00	1610.00
9	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग प्रथम चरण:-				119892.20
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	5080.000	No	1	5080.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	5080.000	No	1.20	6096.00
3	पौध दुलान कार्य	5080.000	No	9.29	47193.20
4	पौध रोपण कार्य	5080.000	No	1.95	9906.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	5080.000	No	1.15	5842.00
6	खाद व दवा पर व्यय	5080.000	No	1.37	6959.60
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (8 माह)	2.500	Hect	483	1207.50

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०		L.S.		1000
	सुरक्षा/दीवार टी गार्ड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ कना		L.S.		2000.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना		L.S.		1000.00
9	अन्य व्य साइन बोर्ड, पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डक्यूमेंट्री आदि कार्य		L.S.		1000.00
10	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग द्वितीय चरण:-				87784.30
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण:-				207676.50
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव :-				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य, 3.71 हे०				
1	पौधे की लागत	508.000	podhe	6.00	3048.00
2	पौधा डुलान कार्य	508.000	podhe	7.00	3556.00
3	पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	508.000	podhe	3.40	1727.20
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	508.000	podhe	1.37	695.96
5	पौधों की शीतकालीन मल्टिन	508.000	podhe	1.15	584.20
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह	2.500	hect	483.00	14040.00
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य		L.S.	340.00	2000.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०		L.S.		1000.00
	ट्री गार्ड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		L.S.		2000.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्ति/समितियों को प्रोत्साहन देना		L.S.		1000.00
3	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग:-				30151.36
	द्वितीय चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य,	2.500	Hect	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग चतुर्थ चरण:-				6296.00

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
	तृतीय चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग चतुर्थ चरण:-				6296.00
	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग चतुर्थ चरण:-				6296.00
	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग पंचम चरण:-				6296.00
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग षष्ठम चरण:-				6296.00
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग सप्तम चरण:-				6296.00
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग अष्टम चरण:-				6296.00
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग नवम चरण:-				6296.00

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	2.500	Hect.	483.00	5796.00
2	अन्य कार्य		L.S.		500.00
	योग दसम चरण:-				6296.00
	कुल योग तृतीय चरण से दसम चरण तक:-				86815.36
	महायोग:-				294491.86

Say .. Rs. 2.95 Lac


वन क्षेत्र अधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव


उप क्षेत्रीय प्रनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर


उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मेंपरियोजना का नाम:-जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 2108 अर्थात् 5.00 हे. क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

उप प्रभारी वन अधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिलाधिकारी,
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ~~श.प्र. कौंज पोथनी~~ में 5.08 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।


वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रैज
केदारनाथ वन्य जीव

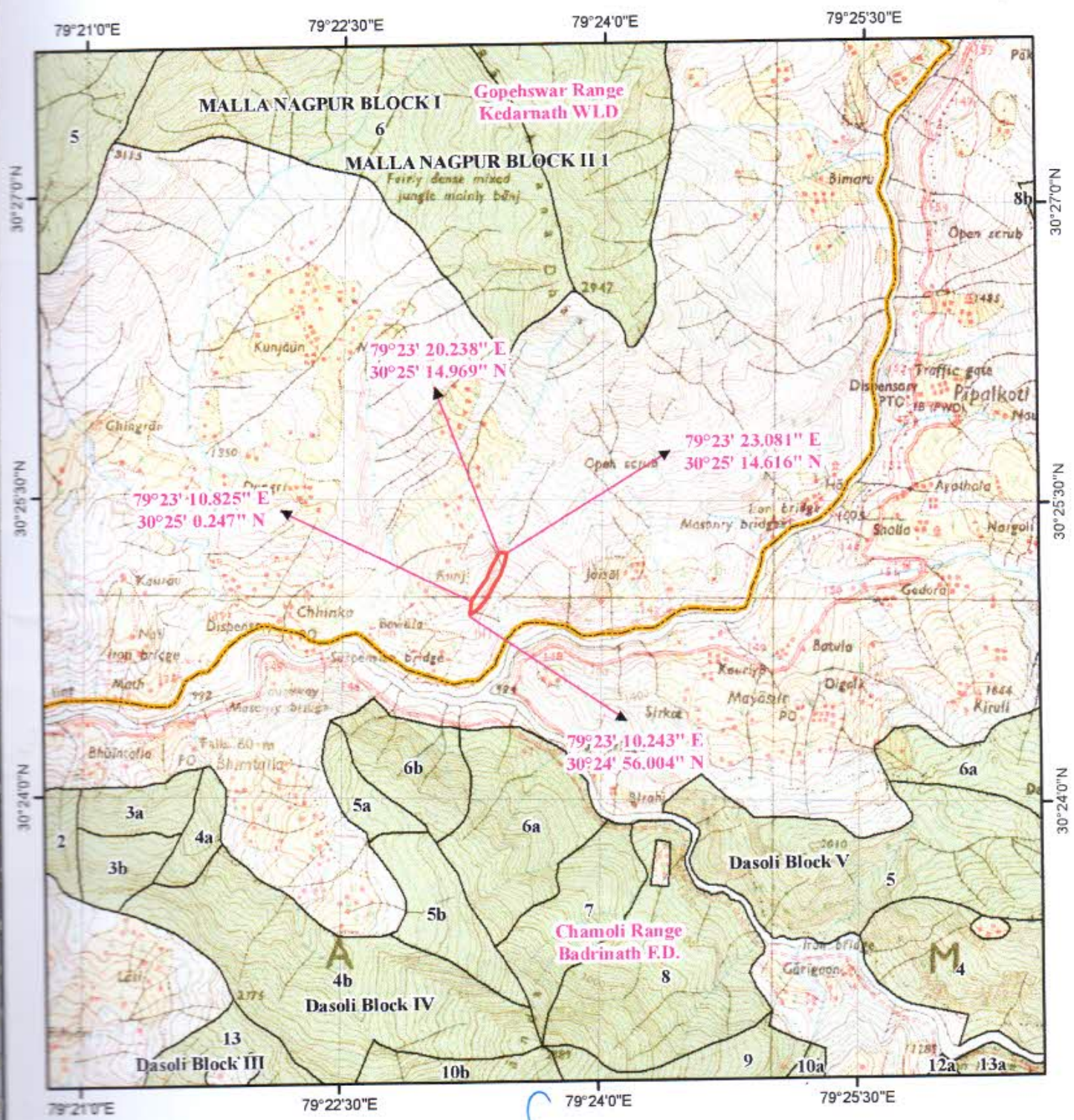

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
उपवन संरक्षक,


(विजय सिंह के.)
ब. ३७७


उप प्रमानीय वन्याधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

डिजिटल मानांचित्र - जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत
 डुंग्री- कूज - पाथनी -बौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक
 वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.08 है०)

0 0.5 1 1.5Km



Legend

- Proposed Plantation 5.08 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

उप वन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रखण्ड
 गोपेश्वर

(Signature)
 JE

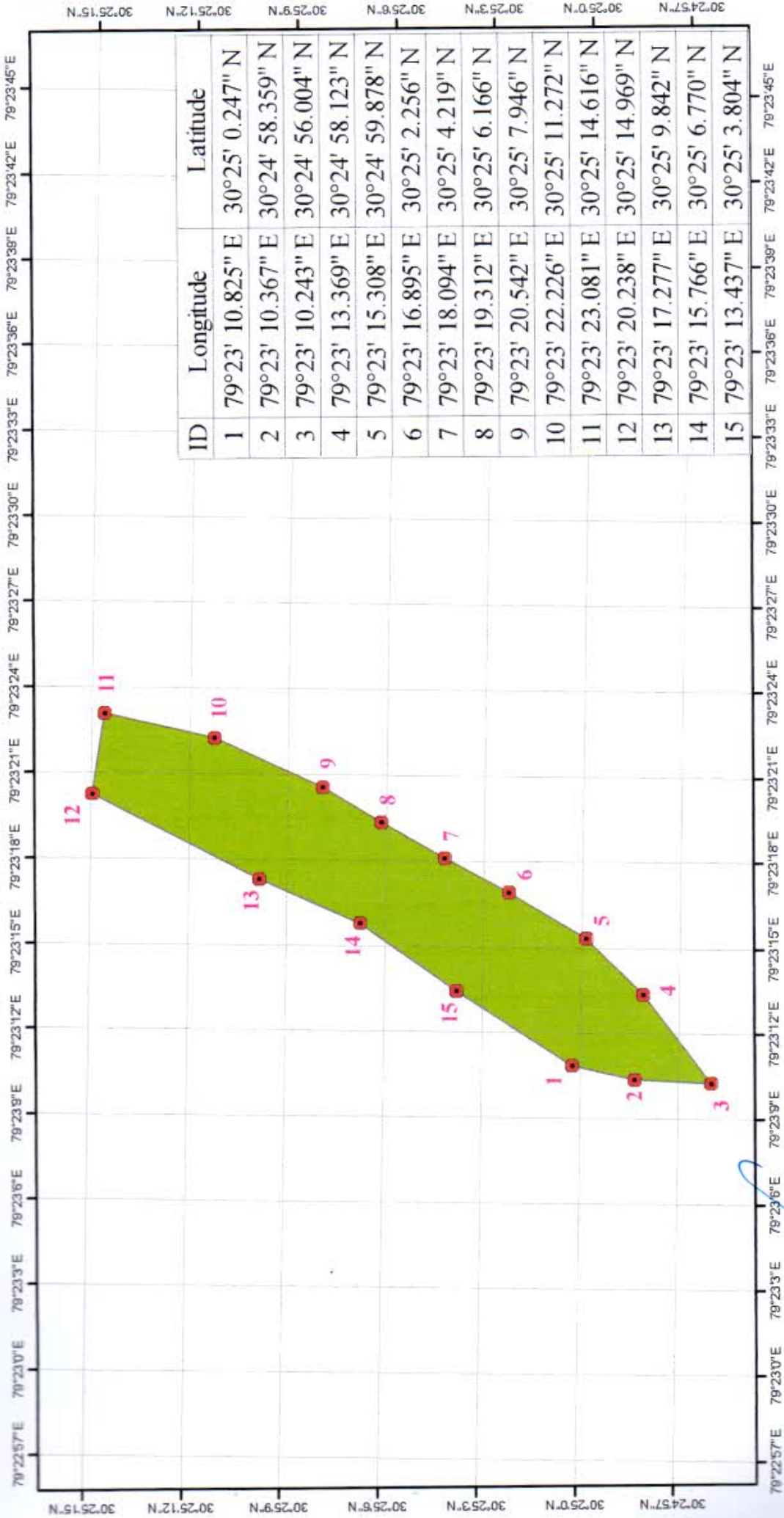
सहायक अभियन्ता
 जिला प्रशासन
 जिला मुख्यालय
 चमोली

(Signature)
 उप प्रभागिक प्रमुख
 गोपेश्वर उप वन प्रखण्ड
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

जियोरेफरेन्स मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अर्न्तगत
 दुग्धी- कूज - पाथनी -बौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक
 वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 5.08 है०)

0 0.25 0.50 0.1 Km

Scale - 1:3,500



Legend

- GPS Point
- CA Land

सहायक अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० बि०
 गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० बि०
 गोपेश्वर

उप जन सहायक
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी

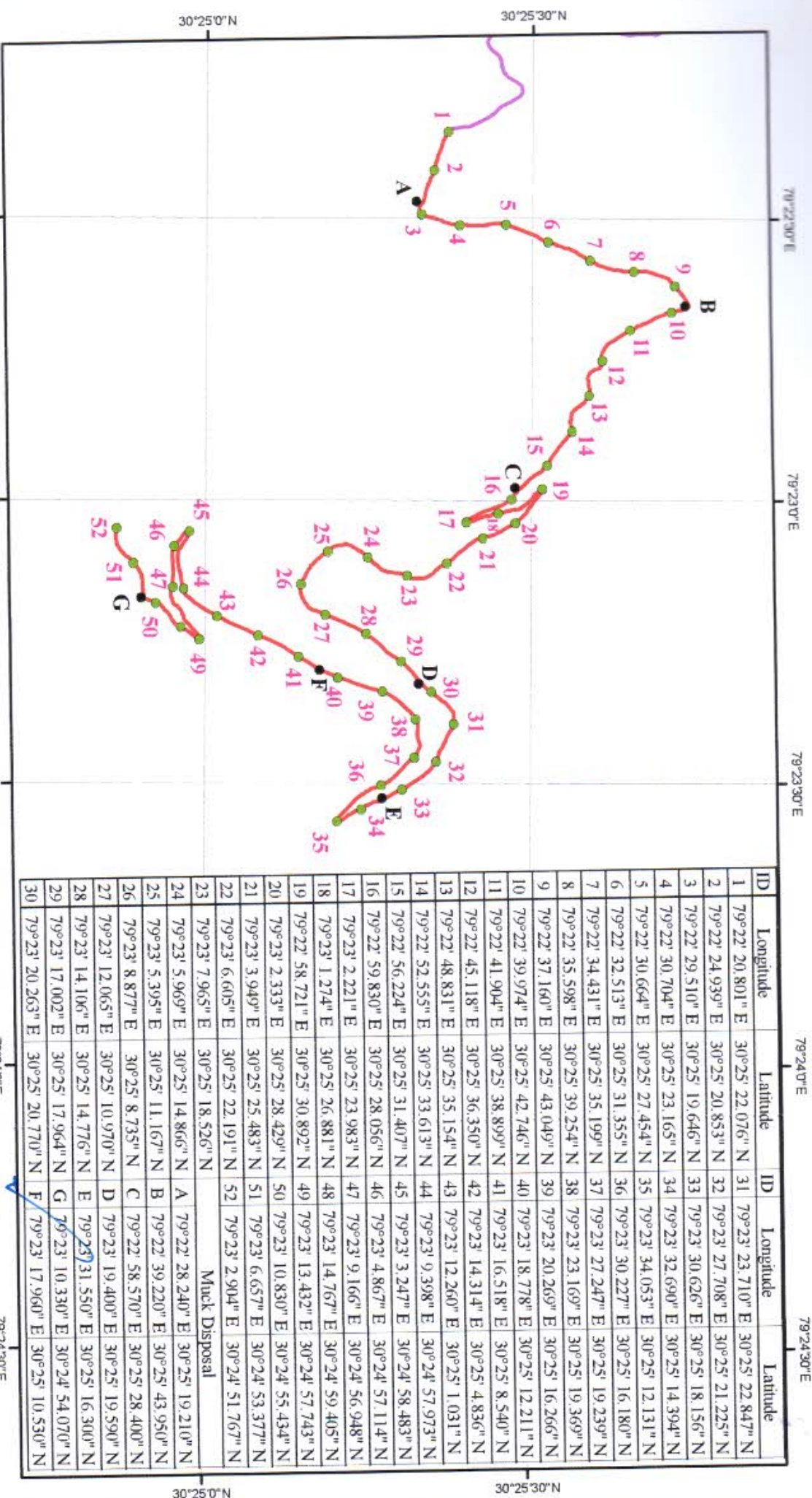
उप जन सहायक
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी

उप जन सहायक
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी

उप जन सहायक
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी
 जिला विकास अधिकारी

विशेषकर मध्य - जनपद बमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से
कौल - पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1.0 2.0
Km
Scale - 1:10,000



Legend

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road

उत्तर कृष्णराज साहू

उत्तर कृष्णराज साहू

उत्तर कृष्णराज साहू

सहायक अभियन्ता
ग्राम खंड लो. नि. वि.

उत्तर कृष्णराज साहू
उत्तर कृष्णराज साहू

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

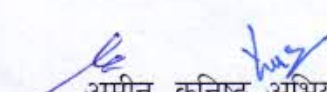
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
	कौंज पोथनी	2100	5.08
	सम्पूर्ण योग :-		5.08 हेक्टेयर


राजेंद्र कुमार सिंह


तहसिलदार
(सदर)
चमोली


वन अधिकारी
कनियाराग


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

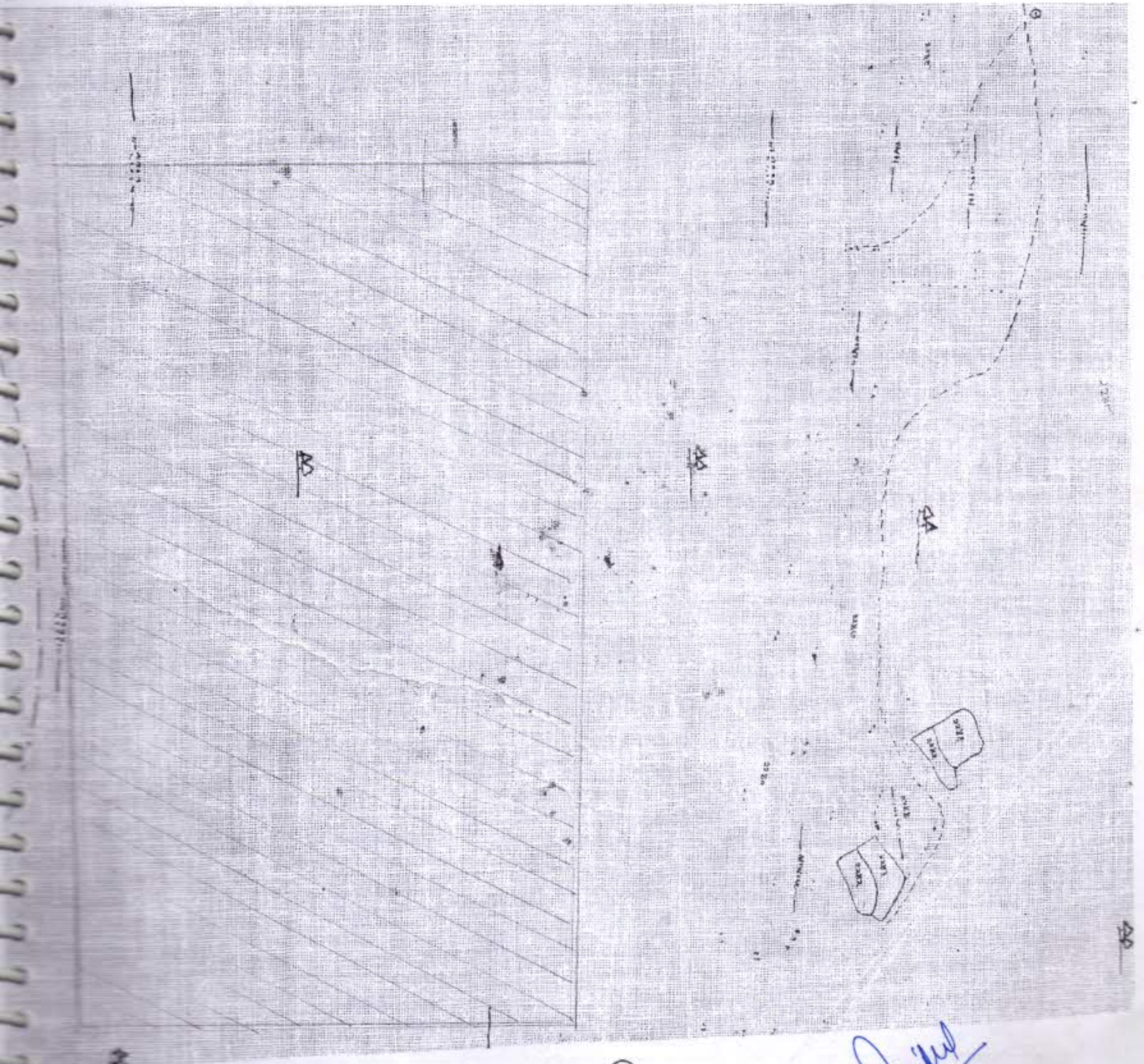

सहायक अभियन्ता


अधिकांसी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


वनसेवाधिकारी

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से 50
कौज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण



X
A. 31.



ΔE

पटवारी

[Signature]

तहसील दशोली
(सदर)
चमोली

जिलाधिकारी
अध्यापक

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{1}{x}$$

पटवारी क्षेत्र
खसरा नकल
तहसील
(६७४)

जिला चमोली

[illegible]

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 2.54 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 5.08 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.54	पौधे का मूल्य - 100 पौधे रोपण कार्य, श्री गार्ड का ढुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00	5.08

Susy
J.E


A.E

Susy
वन विभाग क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रैज
देवगढ़ वन्य जीव

Susy
वन विभाग क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रैज
देवगढ़ वन्य जीव

रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंजपोथनी-बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.54है० के अन्तर्गत 7.00कि०मी०।
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:-700 पौध। रोपित किये जाने वाले प्रजाति का नाम:- बांज, पदम, मेहल, सीरस, कचनार
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर - गोपेश्वर रेंज गोपेश्वर, चमोली

क्र०सं०	कार्य का नाम-प्रथम चरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	2.54है०	121.00प्र०है०	307.34
2.	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना सफाई करना।	2.54है०	3741.00प्र०है०	9502.14
3.	दीवालबन्धी कार्य पर व्यय(ट्रीगार्ड कय करना)	700 सं०	2100.00	1470000.00
4.	गढ़दे खुदान पर व्यय (0.60×0.60×0.60)	700 सं०	1700/सैकड़ा	11900.00
5.	अन्य व्यय जैसे संयन्त्र कय करना औजार तेज करना,	ल०स०	-	500.00
6.	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	700 सं०	7.00	4900.00
	योग:-		योग:-	1497109.48
	द्वितीय चरण:-			
1	गढ़दे भरान कार्य पर व्यय (0.60×0.60×0.60)	700 सं०	255.00 प्रति सैकड़ा	1785.00
2	पौधों की कीमत	700 सं०	1.70 प्रति पौध	840.00
3	पौध दुलान पर व्यय कुजौ पौधालय से कार्यस्थल तक सिरबोझ द्वारा 15 कि०मी०	700 सं०	183 प्र०सै०/प्र०किमी०	19215.00
4	पौध रोपण तथा थावला बन्दी पर व्यय	700 सं०	2.77 प्रति सं०	1939.00
5	खाद उर्वरक तथा अन्य व्यय	700 सं०	ल०स०	1000.00
6	दो बार निराई गुड़ाई मल्लिंग कार्य	700 सं०	190/प्रति सैकड़ा	1330.00
7	देख-रेख व रख रखाव पर व्यय 2.54है०	8 माह	7140/-प्र०मा०	57120.00
8	साइन बोर्ड आदि कय करना	ल०स०	-	2000.00
	योग:-		योग:-	85229.00
	प्रथम चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	85680.00
	द्वितीय चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	85680.00
	12 माह 85680.00 पर 5% वृद्धि			4284.00
	तृतीय चरण:-			89964.00
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	89964.00
	12 माह 89964.00 पर 5% वृद्धि			4498.20
	चतुर्थ चरण:-			94462.20
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	94462.20
	12 माह 94462.20 पर 5% वृद्धि			4723.11
	पंचम चरण:-			99185.31
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	99185.31
	12 माह 99185.31 पर 5% वृद्धि			4959.26
	षष्ठम चरण:-			104144.57
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140/-प्र०मा०	104144.57
	12 माह 104144.57 पर 5% वृद्धि			5207.22
				109351.79

रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से काँजपोथनी-बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.54है० के अन्तर्गत 7.00कि०मी०।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 700 पौध। **रोपित किये जाने वाले प्रजाति का नाम:-** बाँज, पदम, मेहल, सीरस, कचनार
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर - गोपेश्वर रेंज गोपेश्वर, चमोली

क्र०सं०	कार्य का नाम-प्रथम चरण	इकाई	दर	धनराशि
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	2.54है०	121.00प्र०है०	307.34
2.	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना सफाई करना।	2.54है०	3741.00प्र०है०	9502.14
3.	दीवालबन्धी कार्य पर व्यय(ट्रीगार्ड क्रय करना)	700 सं०	2100.00	1470000.00
4.	गद्दे खुदान पर व्यय (0.60×0.60×0.60)	700 सं०	1700 / सैकड़ा	11900.00
5.	अन्य व्यय जैसे संयन्त्र क्रय करना औजार तेज करना,	ल०स०	—	500.00
6.	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	700 सं०	7.00	4900.00
	योग:-		योग:-	1497109.48
	द्वितीय चरण:-			
1	गद्दे भरान कार्य पर व्यय (0.60×0.60×0.60)	700 सं०	255.00 प्रति सैकड़ा	1785.00
2	पौधों की कीमत	700 सं०	1.70 प्रति पौध	840.00
3	पौध ढुलान पर व्यय कुजौ पौधालय से कार्यस्थल तक सिरबोझ द्वारा 15 कि०मी०	700 सं०	183 प्र०सै० / प्र०कि०मी०	19215.00
4	पौध रोपण तथा थावला बन्दी पर व्यय	700 सं०	2.77 प्रति सं०	1939.00
5	खाद उर्वरक तथा अन्य व्यय	700 सं०	ल०स०	1000.00
6	दो बार निराई गुड़ाई मल्लिचंग कार्य	700 सं०	190 / प्रति सैकड़ा	1330.00
7	देख-रेख व रख रखाव पर व्यय 2.54है०	8 माह	7140 / -प्र०मा०	57120.00
8	साइन बोर्ड आदि क्रय करना	ल०स०	—	2000.00
	योग:-		योग:-	85229.00
	प्रथम चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	85680.00
	द्वितीय चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	85680.00
	12 माह 85680.00 पर 5% वृद्धि			4284.00
				89964.00
	तृतीय चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	89964.00
	12 माह 89964.00 पर 5% वृद्धि			4498.20
				94462.20
	चतुर्थ चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	94462.20
	12 माह 94462.20 पर 5% वृद्धि			4723.11
				99185.31
	पंचम चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	99185.31
	12 माह 99185.31 पर 5% वृद्धि			4959.26
				104144.57
	षष्ठम चरण:-			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	7140 / -प्र०मा०	104144.57
	12 माह 104144.57 पर 5% वृद्धि			5207.22
				109351.79

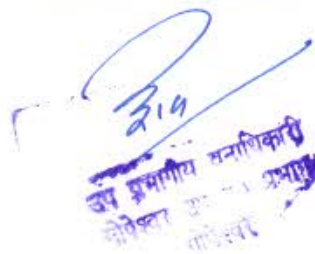
सप्तम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 109351.79 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	109351.79 5467.58 114819.37
अष्टम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 114819.37 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	114819.37 5740.96 120560.33
नवम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 120560.33 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	120560.33 6028.01 126588.34
दशम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 126588.34 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	126588.34 6329.41 132917.75
कुल योग:-				2660012.14
या:-				266012.00

A1
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर-वन क्षेत्र गोपेश्वर

सप्तम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 109351.79 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	109351.79 5467.58 114819.37
अष्टम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 114819.37 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	114819.37 5740.96 120560.33
नवम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 120560.33 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	120560.33 6028.01 126588.34
दशम चरण:-				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 126588.34 पर 5% वृद्धि	12 माह	7140/-प्र0मा0	126588.34 6329.41 132917.75
कुल योग:-				2660012.14
या:-				266012.00



 वन क्षेत्राधिकारी

गोपेश्वर वन क्षेत्र गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण

- 1- परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंजपोथनी-बौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2- वृक्षारोपण स्थल का नाम- कौंजपोथनी सिविल।
- 3- क्षेत्रफल- 5.08 है०
- 4- रोपित किये जाने वाले पौधों की सं०-2000 पौध प्रति है० 10160 कुल पौध।
- 5- रोपित की जानी वाली प्रजातियां- मेहल, तिमला, खडिक आदि।

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	स्थल की सफाई कार्य।	5.08 है०	121.00 प्र० है०	614.68
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी कार्य।	5.08 है०	3741.00 प्र० है०	19004.28
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	5.08 है०	22437.00 प्र० है०	113979.96
5.	रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45)सेमी०			
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	10160 पौध	48.00 प्र० सैकड़ा	4876.80
7.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय।	5.08 है०	916.00 प्र० है०	4653.28
8.	अन्य कार्य		ल० सं०	2000.00
			ल० सं०	3000.00
			योग	157289.00

द्वितीय चरण

1.	गड्ढा खुदान कार्य 0.30×0.30×0.45	10160 गड्ढे	747 प्रति सैकड़ा	75895.20
2.	पौधों का मूल्य	10160 पौ०	7.00 प्रति पौध	71120.00
3.	पौध डुलान काय कुजों पौधालय से कार्यस्थल तक सिरबोझ द्वारा 04 कि०मी०	10160 पौ०	11 प्र० सै० / प्र० कि०मी०	4470.40
4.	पौध रोपण एवं थावला बन्दी कार्य करना।	10160 पौ०	2.77 प्रति सं०	28143.20
5.	निराई गुड़ाई व मल्लिंग दो बार	10160 पौ०	190 प्रति सैकड़ा	19304.00
6.	खाद व दवा पर व्यय	5.08 है०	195.00 प्र० है० / कु०	990.60
7.	प्रथम वर्ष में देखरेख एवं रखरखाव पर व्यय 5.08 है०	08 माह	595 प्र० है० / प्र० माह	24180.80
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०		ल० सं०	2000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4.00 मी० की पट्टी साफ करना		ल० सं०	2000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना प्रशिक्षण-	01 गाँव	2000.00 प्रति गाँव	2000.00
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण को बचाने हेतु पोलिथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य का प्रचार-प्रसार।		ल० सं०	4000.00
			योग	234104.20

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	5.08 है०	ल० सं०	2000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	5.08 है०	ल० सं०	3000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	01 गाँव	2000.00 प्रति गाँव	2000.00
3.	अनुरक्षण अन्य कार्य (10 प्रतिशत वीटिंग अप सहित)		ल० सं०	5000.00
			योग	97680.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल० सं०	3000.00
			योग	88680.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल० सं०	3000.00
			योग	88680.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त नवें वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण 5.08 है०	12 माह	7140.00 प्रति माह	85680.00
2.	अन्य कार्य		ल०सं०	3000.00
			योग	88680.00
			कुल योग:-	1287193.20
			या:-	1287193.00

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव भ्रमण

वन क्षेत्रीय कर्मचारी
गोपेश्वर रेंज

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


J.E


सहायक अभियन्ता
प्रा० अ० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बाँला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी०	वानस्पतिक नाम
1	2	3	4	5	10
1	सिविल	चीड़	80	0-10	Pinus Roxburgii
			62	10-20	
			18	20-30	
		बांज	4	0-10	Quercus lanuginosa
		सुबबूल	3	0-10	Quercus lanuginosa
		बकैन	2	0-10	Quercus lanuginosa
			2	10-20	
		काफल	1	10-20	Quercus lanuginosa
		सेमल	1	20-30	bombax ceiba
		आवंला	3	0-10	Quercus lanuginosa
		सिल्वर	1	0-10	grevillea robusta
			1	10-20	
	योग :- सिविल		178		
2	वन पंचायत कौंज पोथनी	सुरई	41	0-10	cupressus torulosa
			42	10-20	
			1	20-30	
		तिमला	1	0-10	Quercus lanuginosa
		उत्तीस	1	0-10	alnus nepalensis
			10	20-30	
			1	30-40	
	योग :- वन पंचायत		97		
3	नापभूमि :-				
		अखरोट	1	30-40	juglans regia
		शहतूत	1	30-40	morus alba
		कुकाट	6	0-10	Andromea cle
		तुन	1	10-20	cedrela toona
		गैंठी	4	0-10	Quercus lanuginosa
			1	10-20	
		शीशम	2	30-40	dalbergia sissoo
		जैकरैण्डा	1	0-10	Quercus lanuginosa
			1	0-10	
	योग :- नाप		18		
	महायोग :-		293		

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रैंज
केदारनाथ वन्य जीव

(विनोद सिंह केनेत)
व.अ.अ.

1/11

1/11

1/11

वृक्षों का सारांश बांज प्रजाति

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से काँज पोथनी-बाँला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

[illegible]

वनक्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
कंदमध्य वन्य जैव

वन संरक्षक

उप इनामीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

JE

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	वानस्पतिक नाम
					काबिल	नाकाबिल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सिविल	चीड़	80	0-10			117.13	9370.40	Pinus Roxburgii
			62	10-20			214.26	13284.12	
			18	20-30			702.77	12649.86	
		बांज	4	0-10			58.56	234.24	Quercus lanuginosa
		सुबबूल	3	0-10			58.56	175.68	Quercus lanuginosa
		बकैन	2	0-10			58.56	117.12	Quercus lanuginosa
			2	10-20			98.49	196.98	
		काफल	1	10-20			98.49	98.49	Quercus lanuginosa
		सेमल	1	20-30			107.81	107.81	bombax ceiba
		आवंला	3	0-10			58.56	175.68	Quercus lanuginosa
		सिल्वर	1	0-10			58.56	58.56	grevillea robusta
			1	10-20			98.49	98.49	
		योग :- सिविल	178					36567.43	
2	वन पंचायत कौंज पोथनी	सुरई	41	0-10			98.49	4038.09	cupressus torulosa
			42	10-20			146.41	6149.22	
			1	20-30			194.33	194.33	
		तिमला	1	0-10			58.56	58.56	Quercus lanuginosa
		उत्तीस	1	0-10			137.09	137.09	alnus nepalensis
			10	20-30			428.58	4285.80	
			1	30-40			721.40	721.40	
		योग :- वन पंचायत	97					15584.49	
3	नापभूमि								
		अखरोट	1	30-40			2281.33	2281.33	juglans regia
		शहतूत	1	30-40			1677.06	1677.06	morus alba
		कुकाट	6	0-10			58.56	351.36	Andromeacle
		तुन	1	10-20			214.29	214.29	cedrela toona
		गैठी	4	0-10			58.56	234.24	Quercus lanuginosa
			1	10-20			98.49	98.49	
		शीशम	2	30-40			98.49	196.98	dalbergia sissoo
		जैकरैण्डा	1	0-10			58.56	58.56	Quercus lanuginosa
			1	0-10			98.49	98.49	
		योग :- नाप	18					5210.80	
		महायोग :-	293					57362.72	

उप निदेशक
(विजेन्द्र सिंह)
ब. ३३१८

उप निदेशक
कैलाश च. न. त. ३३३३
२३/११/२०२३

उप निदेशक
कैलाश च. न. त. ३३३३
२३/११/२०२३

उप वन संरक्षक
कैलाश च. न. त. ३३३३
२३/११/२०२३

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।


क्र. ३५०


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

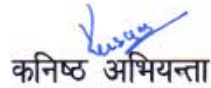
परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

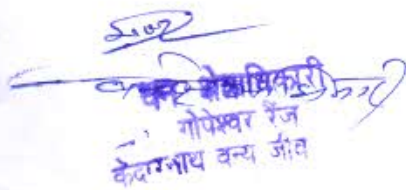
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।


अमीन

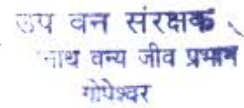

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


वन अधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव


वन अधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
नाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कोज पाथनी- बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु मलवा निस्तारण योजना।

जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कोज पाथनी- बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, गोपेश्वर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।

(नीतु लक्ष्मी एम०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

- 1- Construction of Koung-Pothani-Bounla motor road from Dungri. Under State Sector.
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Annexure -I

Name of Work :-

Construction of Koung-Pothani-Bounla motor road from Dungri. Under State Sector.

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity						
		(1x1/2x7000x7x3)x80%				58800.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				23520.00	Cum
			Total Muck -			82320.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS							
1	R.R. stone masonry 1:6	1x220	15.00	(0.60+1.27)/2	2.00	6171.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x220	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	8228.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x220x1/3	20.00	(1+.5)/2	1.50	1650.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x 100	3.00	1.50	1.50	675.00	Cum
5	C/O parapets	1x280	3.00	0.60	0.45	226.80	Cum
6	Granular sub base/base/surface	1x20	5700.00	3.75	0.10	42750.00	Cum
			Total Used Materials :-			59700.80	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					22619.20	Cum
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL							
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard	Unit		
1		50x6x3.50	Civil Land	1050.00	cum		
2		50x6x3.50	Civil Land	1050.00			
3		50x6x3.50	Naap Land	1050.00			
4		50x6x3.50	Naap Land	1050.00			
5		50x6x3.50	Naap Land	1050.00			
6		50x6x3.50	Civil Land	1050.00			
7		50x6x3.50	Naap Land	1050.00			
			Total-	7350.00	Cum		
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL							
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries		
1	82320.00	22619.20	59700.80	22619.20	0.00		

Annexure -II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1		Uttarakhand Govt. Land	0.300	3000.00	300.00	79°19'28.24" E	30°25'19.21" N
			0.300				
2		Uttarakhand Govt. Land	0.275	2750.00	300.00	79°22'39.22" E	30°25'43.95" N
			0.275				
3		Sri Devendra Singh S/O Sri Shiv Singh	0.321	3210.00	300.00	79°22'58.57" E	30°25'28.40" N
			0.321				
4		Sri Kunwar Singh S/O Sri Udai Singh	0.176	1760.00	300.00	79°23'19.40" E	30°25'19.59" N
			0.176				
5		Sri Kunwar Singh S/O Sri Gopal Singh	0.243	2430.00	300.00	79°23'31.55" E	30°25'16.30" N
			0.243				
6		Uttarakhand Govt. Land	0.243	2430.00	300.00	79°23'17.96" E	30°25'10.53" N
			0.243				
		Smt Hiwain Devi W/O Mohan singh	0.314	3140.00	300.00	79°23'10.33" E	30°24'54.07" N

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम— राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन

वृक्षारोपण स्थल का नाम— मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं. (कुल क्षेत्रफल x 2000 पौधे) = 180

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	यूनिट	दर रु में	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.090	hect	85.00	7.65
2	स्थल सफाई कार्य	0.090	hect	2630.00	236.70
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसिंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.)	0.090	hect	15795.00	1421.55
4	गडढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	180.00	Gaddha	5.590	1006.20
5	डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गडढा)	4.80	kg	20.00	96.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु प्रति हे.)	0.09	hect	644.00	57.96
7	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	180.00	podhe	5.00	900.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए				0.00
	1 वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 ₹ 4588 = 36700.00				0.00
	2 वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 X 2.50X1.00) 5X 5140 = 25700.00				0.00
	योग = 62400.00	0.090	hect	64430.00	5798.70
	योग प्रथम चरण—				9524.76

द्वितीय चरण—

1	झाड़ी कटान (लेन्ताना गाजर घास/ काला बांस)	0.090	hect	1315.00	118.35
2	गडढा भरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	180.000	Gaddha	1.00	180.00
3	पौधा ढुलान कार्य	180.000	podhe	9.29	1672.20
	पौधा रोपण व थाला बन्दी	180.000	podhe	1.95	351.00
	पौधे की प्रथम निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	180.000	podhe	1.34	241.20
	पौधे की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	180.000	podhe	1.15	207.00
	पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष	180.000	podhe	1.20	216.00
	प्रत्येक वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.090	hect	483/hect/month	391.23
	अन्य कार्य	0.090	hect	340.00	30.60
	योग द्वितीय चरण—				3407.58

द्वितीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.

	180.00	podhe	6.00	1080.00
--	--------	-------	------	---------

1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	340.00	30.60
	योग चतुर्थ चरण				552.24
पंचम चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	340.00	30.60
	योग पंचम चरण				552.24
छठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	340.00	30.60
	योग छठवां चरण				552.24
सातवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	430.00	38.70
	योग सातवां चरण				560.34
आठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	430.00	38.70
	योग आठवां चरण				560.34
नौवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	430.00	38.70
	योग नौवां चरण				560.34
दसवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.090	hect	483/hect/ month	521.64
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.090	hect	430.00	38.70
	योग दसवां चरण				560.34
कुल धनराशि				प्रथम चरण	9524.76
				द्वितीय चरण	3407.58
				तृतीय चरण	3957.84
				चतुर्थ चरण	552.24
				पंचम चरण	552.24
				छठवां चरण	552.24
				सातवां चरण	560.34
				आठवां चरण	560.34
				नवम चरण	560.34
				दसवां चरण	560.34
				कूल योग	20788.26
				say	20788.00

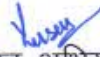
गोपेश्वर रंज
हेदारनाथ वन्य जीव

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से
कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण का निर्माण

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर


अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- देवेन्द्र सिंह
पिता का नाम- श्री शिव सिंह
ग्राम- कुंज पोथनी

किमी.....क्रास सेक्शन.....पर प्रस्तावित मेक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री देवेन्द्र सिंह
.....पुत्र श्री शिव सिंह.....ग्राम कुंज पोथनी
पटवारी क्षेत्र छिनका.....तहसील एवं जिला चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1-		570	0.023
		571	0.018
		572	0.023


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-छिनका
तहसील-चमोली
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी-बौंला तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- कुवसिंह
पिता का नाम- बुद्धसिंह
ग्राम- कुंज पोथनी

किमी.....क्रास सेक्शन.....पर प्रस्तावित मेक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री कुवसिंह
.....पुत्र श्री बुद्धसिंह.....ग्राम कुंज पोथनी
पटवारी क्षेत्र छिनका.....तहसील एवं जिला चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1-		2110	0.035
		2111	0.023


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-छिनका
तहसील-चमोली
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली मे राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी-बाँला तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये मेक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम— कुबर्सिंह
पिता का नाम— मोहनलाल सिंह
ग्राम— कोला

किमी.....क्रास सेक्शन.....पर प्रस्तावित मेक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री कुबर्सिंह
.....पुत्र श्री मोहनलाल सिंह.....ग्राम कोला
पटवारी क्षेत्र छिनका तहसील एवं जिला चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1-		730	0.000
		739	0.010
		740	0.004
		741	0.045


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र—छिनका
तहसील—चमोली
जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

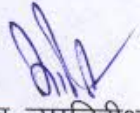
जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये मेक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम— हिवांडू देवी
पति— मोहन सिंह
पिता का नाम— मोहन सिंह
ग्राम— बौला

किमी. कास सेक्शन पर प्रस्तावित मेक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री हिवांडू देवी देवी पुत्र श्री मोहन सिंह ग्राम बौला
पटवारी क्षेत्र हिवांडू देवी तहसील एवं जिला चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1 -		702	0.013
		703	0.020
		704	0.011
		705	0.013 0.013


राजरज उपनिरीक्षक
क्षेत्र—छिनका
तहसील—चमोली
जिला—चमोली

कार्यकालनाम → राजम योजान्तर्गत डुंग्री से वौंज-पोषणी-वौंला तक मोटरमार्ग,
 लम्बाई (7.00 कि.मी.) मक डिस्पोजल स्थल चयन.



मक डिस्पोजल (सिविल डि.मी. 1)



मक डिस्पोजल (सिविल डि.मी. 2)

Handwritten signature
 क. जे.

सहायक अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०

अधिसारी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 गोरखपुर



मक, डिस्पोजल नाम-भूमि. १५- ३



मक, डिस्पोजल नाम-भूमि. १५- ४
 व. उ. नं.

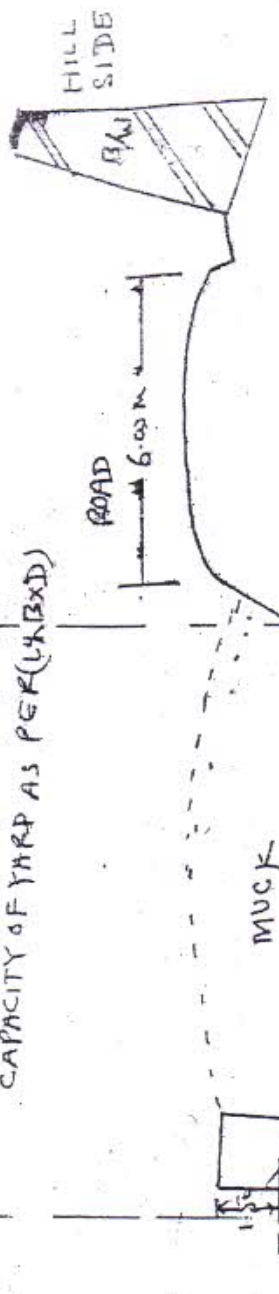
सहायक अभियन्ता
 ग्रा० ख० लो० नि० वि०

अधिसारी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 गोरखपुर

कार्यका नाम :- राजम-मोजनानागत कुंद्री से आज-पोवनी-वैला तक मोटर कार लक्काई 700 कि.मी.

(नाहन प्लान-मदरिक्वोजन हेतु)

LENGTH OF YARD AS PER SITE
CAPACITY OF YARD AS PER (LXBXD)



WIRE GAATE.

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

POS-
J.E

100

A-E

साहायक अभियन्ता
प्रौ. लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

DIS
EE

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी ^{2.50} ~~2.50~~... किमी० है।


वन अधिकारी
गोपेश्वर रैज
कदाग्रथ वन्य जीव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर रैज वन प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
के. प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर

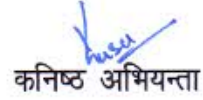
वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


क. स. सिंह
गोपेश्वर रेंज
कदम्बाय वन्य जीव


उप प्रभाषीय कर्ताधिकारी
गोपेश्वर रेंज वन्य जीव
गोपेश्वर

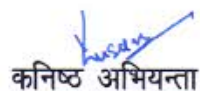
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्रामसभा का अनपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ग्राम कौंज-पोथनी के डुलाणी-ठोकर में 5.08 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

नरिंता रावत
ग्रामपंचायत

उप-ग्रामपंचायत कौंज पोथनी
चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

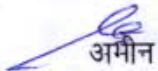


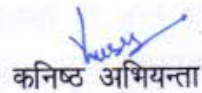
कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

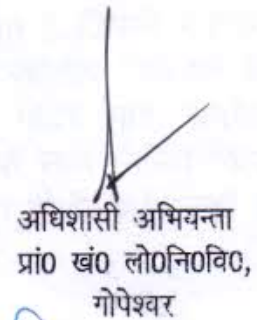
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

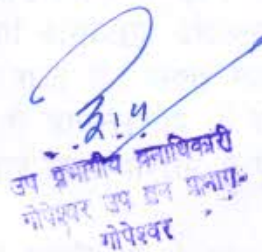

अमीन

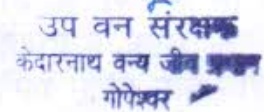

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
कंदारनाथ वन्य जीव प्रकल्प
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
कंदारनाथ वन्य जीव प्रकल्प
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
कंदारनाथ वन्य जीव प्रकल्प
गोपेश्वर

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम डुंग्री से कौंज-पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 95/23 LA, दिनांक 11.5.2015, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद व तहसील चमोली में राज्य योजना अन्तर्गत ग्राम डुंग्री से कौंज-पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री शरद कुमार टम्टा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री धूम सिंह बुटोला, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण क्षेत्र घिंघराण-डुंग्री तक पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण स्थल की कुल लम्बाई लगभग 8.000 कि०मी० प्रस्तावित है जिसमें नवनिर्माण हेतु समरेखण लगभग 0.7 कि०मी० में निर्मित किया जाना है जो कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया। मोटर मार्ग समरेखण को विभिन्न पहाड़ी ढालों से होते हुए लगभग 05 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना है। प्रारम्भ में मोटर मार्ग कटाव पर स्वस्थानें चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जिनकी प्रसार व नति उत्तर $250^{\circ}/40^{\circ}$ पश्चिम अवस्थित है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कौंज, ग्राम बैली, ग्राम बौला तक निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण दक्षिणपश्चिम, दक्षिणपूर्व फेसिंग पहाड़ी ढालों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के (प्रारम्भ में) उत्तर में पूर्व मोटर मार्ग का अपस्तोप, दक्षिण में डाउनस्तोप के साथ तीव्रता के साथ पहाड़ी ढाल, पूर्व में प्रस्तावित मोटर मार्ग का विस्तार तथा पश्चिम में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग विद्यमान है।

सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण में पहाड़ी ढाल की तीव्रता लगभग $10^{\circ}-60^{\circ}$ दक्षिणपश्चिम, दक्षिणपूर्व व उत्तरपूर्व है जिसमें कतिपय स्थल ऊर्ध्वाधर पहाड़ी ढाल के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मोटर मार्ग समरेखण के मध्य अवस्थित नाले पर पुल का निर्माण किया जाय। समरेखण में मृदा व अनकन्सॉलिडेटेड मलवे की मोटाईयुक्त गहरी व कतिपय स्थलों पर कम व अधिक मोटाईयुक्त परत विद्यमान है। सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण की अधोभूमि में नाइसेस, पोरफिरिटिक नाइस व शिष्टोज क्वार्टजिटिक प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। मोटर मार्ग समरेखण के प्रारम्भ में चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के समान्तर व कतिपय स्थलों पर चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के ऑबलिक तथा कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के प्रतिकूल दिशा में दृष्टिगोचर होती है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण में कतिपय स्थलों पर स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियाँ व विरल वृक्ष आच्छादन दृष्टिगत होती है जिनसे वृक्षों का पातन कम से कम होगा।

सहायक अभियन्ता



सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० दि०
गोपेश्वर

A

2

मोटर मार्ग समरेखण में अवस्थित नाले के बायें/उत्तरपूरब पलैंक पर दृष्टिगत चट्टानों का झुकाव नाले व पहाड़ी ढाल की दिशा की ओर विद्यमान है जो कि मोटर मार्ग कटाव/निर्माण करते समय अपस्लोप स्लाइसिंग के साथ प्रतिकूल रॉक फॉल की परिस्थितियों/सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। जिसके लिए उचित एवं आवश्यक प्रबन्ध किये जाने होंगे। समरेखण भूभागों/क्षेत्रों की प्रकृति व भूगर्भीय तथ्य निम्नवत हैं :-

0.000 कि०मी०-3.000 कि०मी० के मध्य :

उक्त मोटर मार्ग समरेखण के प्रारम्भ में दक्षिणपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया जाना है जो कि सीढ़ीनुमा बंजर पहाड़ी ढाल के रूप में अवस्थित है। उक्त स्थल में चट्टानें कतिपय स्थलों पर एक्सपोज्ड व कतिपय स्थलों पर मृदा की परत के अधोभूमि में विद्यमान हैं। उक्त के मध्य स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल 20° - 60° दक्षिण व उत्तरपूरब विद्यमान है। उक्त के अपस्लोप में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग कटाव से उत्सर्जित डेबरी व चट्टानों के फ्रेगमेन्ट्स को निचले पहाड़ी ढालों पर गिराया/फैलाया गया है। यत्र-तत्र कतिपय वृक्ष व सघन झाड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। उक्त के मध्य ग्राम कौंज व बैली धार अवस्थित है जो कि प्रथम दृष्ट्या मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप में अवस्थित है व जिसके अधोभूमि अवस्थित चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के समान्तर अवस्थित है जो कि एक प्रतिकूल परिस्थिति है। मोटर मार्ग समरेखण में अधोभूमि अवस्थित चट्टानें पहाड़ी ढाल की दिशा के ऑबलिक नति के साथ अवस्थित हैं जो कि ब्लास्टिंग/मोटर मार्ग कटाव से अपस्लोप के अस्थिर होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। जिसका आंकलन मोटर मार्ग कटाव से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा एवं कटाव के पश्चात् अधोभूमि चट्टानों के ऊपर अवस्थित मृदा का कटाव के पश्चात् वर्षाकाल के दौरान मृदा अपरदन हो सकता है।

3.000 कि०मी०-7.000 कि०मी० के मध्य :

मोटर मार्ग समरेखण प्रथम दृष्ट्या सीढ़ीनुमा कृषियुक्त भूमि व बंजर भूभाग से गुजारा जाना प्रस्तावित है जो कि हेयरपिन बैण्ड्स के निर्माण से ग्राम बौला तक प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण को ग्राम क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों से गुजारा जाना प्रस्तावित है जिससे मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप क्षेत्रों के एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से अस्थिरता की सम्भावना हो सकती है व मोटर मार्ग कटाव के उपरान्त कतिपय स्थल अस्थिर हो सकते हैं। अतः कटाव के पश्चात् शीघ्र ही मोटर मार्ग की रिटेनिंग, ब्रेस व टो सपोर्ट वाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मलवे के साथ) का आधार ताजा (फ्रेश) स्वस्थानें चट्टानों अथवा पर्याप्त गहराई में रखना आवश्यक होगा अन्यथा दीवारों का आधार भूकम्परोधी तकनीक के साथ निर्माण किया जाय।

चूँकि उक्त स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।

विचारणीय बिन्दु :

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण के अपस्लोप में पूर्व में ही मोटर मार्ग निर्माणाधीन व डाउनस्लोप पर ग्राम बौला को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग समरेखण पूर्व में भी किया गया है।

सहायक अभियन्ता

प्र० ४० ले० नि० वि०

मेरेवर

2. उक्त मोटर मार्ग समरेखण को ग्राम कौज से बैली तक 02 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के आंशिक ऑबलिक व चट्टानों के ऊपर मृदा की गहराईयुक्त परत अवस्थित है अतः उक्त के मध्य समरेखण कटाव में सुरक्षा भारक दीवारों का निर्माण अधोभूमि अवस्थित चट्टानों के मध्य रखा जाना आवश्यक होगा।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण निर्माण हेतु निम्न सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

1. प्रश्नगत स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
2. मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण कार्य सुरक्षित भूकम्पीय गुणांकों के अनुसार एवं अद्यतन नवविकसित भूकम्परोधी तकनीकी के आधार पर किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा।
3. समरेखण के कटाव हेतु भिन्न-भिन्न स्थलों पर बनायी जाने वाली सुरक्षा/रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) दीवारों का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक व उचित डिजाइनिंग के साथ किया जाय।
4. मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर कटाव के पश्चात् कतिपय स्थलों पर वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से भूस्खलन/भूधसांव से बचने के लिए आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक का उपयोग किया जाय।
5. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर सीढ़ीनुमा दीवारों में निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड/डेबरी फ्लो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।
6. मोटर मार्ग कटाव के शीघ्र बाद ही टो सपोर्ट वाल का निर्माण आवश्यक होगा ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।
7. उक्त मोटर मार्ग समरेखण में अधिकांश भूभाग में पहाड़ी ढाल व चट्टानों की नति एक ही दिशा में विद्यमान है जो कि एक प्रतिकूल परिस्थिति है जिसमें कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप में स्लाइडिंग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है अतः उक्त की सुरक्षा हेतु आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी मैहजर्स का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।
8. मोटर मार्ग समरेखण के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर कौजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
9. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय अथवा परमिसिविल लिमिट तक किया जाना उचित होगा, अन्यथा चट्टानों में व्याप्त दरारों एवं जोड़ों के खुल जाने के कारण चट्टानों के फिसलन को त्वरित बढ़ावा मिलेगा।

मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण में ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहाड़ी का ढलान अधिक है। भूस्खलन की सम्भावना को न्यून करने हेतु एंगिल ऑफ रिपोज को

सहायक अभियन्ता

प्र० ख० लो० नि० वि०

मेरठ

दृष्टिगत रखते हुए सीढ़ीनुमा सोपान युक्त प्रतिधारक दीवार (वाप हॉल सहित) तथा सतही जल की निकासी हेतु चैनल का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिधारक दीवार के निर्माण में पर्वतीय क्षेत्र हेतु संस्तुत अभियांत्रिकी मानकों के अनुसार निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

11. मोटर मार्ग समरेखण स्थल का मलवा पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/एकत्रित किया जाय तथा मड प्लो से बचने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जाय।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किए गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु, सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उचित समझा जाता है।



(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

photo copy Attached


सहायक अभियन्ता
प्रा० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिकभूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव व्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिंगमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

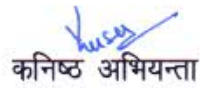
भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तर्क मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

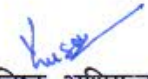
मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण में पडने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
कर्मचारी

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

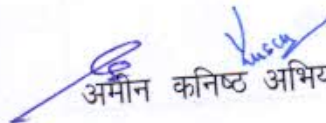

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	डुंग्री	75	312
2.	कुज-पोथनी	154	671
3.	बौला	161	693
	योग :-	390	1676


अमरीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कोज पाथनी- बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व..... 0.5
- 3-एन0पी0वी0 की दर9,39000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.54 है०
- 5-कुल देय एन0पी0वी0.....रु० 23,85,060.00

(नीतु लक्ष्मी एम०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

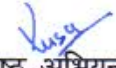
एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमान


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

सीमांकन आवकलन

कार्य का नाम → जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली में राज्य-योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज-पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण	आर०सी०आर० पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी	2.54		

अमान

कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

अधीशासी अभियन्ता
प्रा० अ० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
गोपेश्वर रैज
केदारनाथ वन्य जीव

उप वन संरक्षक
गोपेश्वर रैज
केदारनाथ वन्य जीव

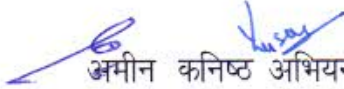
उप वन संरक्षक
गोपेश्वर रैज
केदारनाथ वन्य जीव

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय का प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक निर्माण कार्य के समय सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशसी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	--
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	2.450
वन पंचायत वन भूमि -	0.350
निजी भूमि -	2.450
योग -	5.250
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रां.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हां/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हां/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हां/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हां/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हां/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हां/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हां/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हां/नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हां/नहीं
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं - हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं


सहायक अभियन्ता
प्र० छ० लो० नि० वि०
गोपेस्वर

अभिप्रेत अभियन्ता
अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवैत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

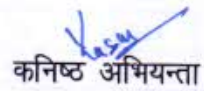
स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

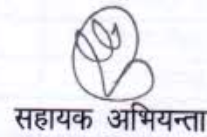
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।


अमीन

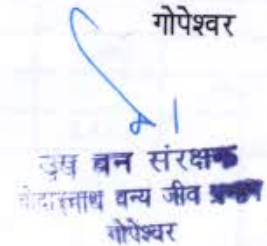

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


गोपेश्वर राज
केदारनाथ वन्य जीव


उप प्रभारित प्रशासिकी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से काँज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम डुंग्री (सिविल) :-						
	828 म०	0.450	15	उत्तराखण्ड सरकार	0.100	बंजर	
	829 म०	1.580	14	उत्तराखण्ड सरकार	0.250	गौचर	
2	ग्राम कुज-पोथनी (वन पंचायत कम्पा० नं० 1) :-						
				उत्तराखण्ड सरकार	0.350	जंगल	
3	ग्राम कुज-पोथनी (सिविल) :-						
	164 म०	0.434	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.150	चारागाह	
	170 म०	0.911	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.200	चारागाह	
	780 म०	0.356	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.100	चारागाह	
	950 म०	0.662	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.200	रास्ता	
	1877 म०	3.009	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.1200	रास्ता	
	2108 म०	24.043	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.720	चारागाह	
	2239 म०	0.158	20	उत्तराखण्ड सरकार	0.030		
	2240 म०	0.602	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	चारागाह	
	2248 म०	0.928	20	उत्तराखण्ड सरकार	0.030	चारागाह	
	2249 म०	1.043	18	उत्तराखण्ड सरकार	0.100	चारागाह	
	2453 म०	0.055	28	उत्तराखण्ड सरकार	0.020	बंजर	
	2455 म०	0.275	30	उत्तराखण्ड सरकार	0.030	बंजर	
4	मक डिस्पोजल				0.090		
						गौचर	
		34.506			2.540		

पटपारी

तहसीलदार

उपसिद्धाधिकारी

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव



अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि.वि. गोपेश्वर

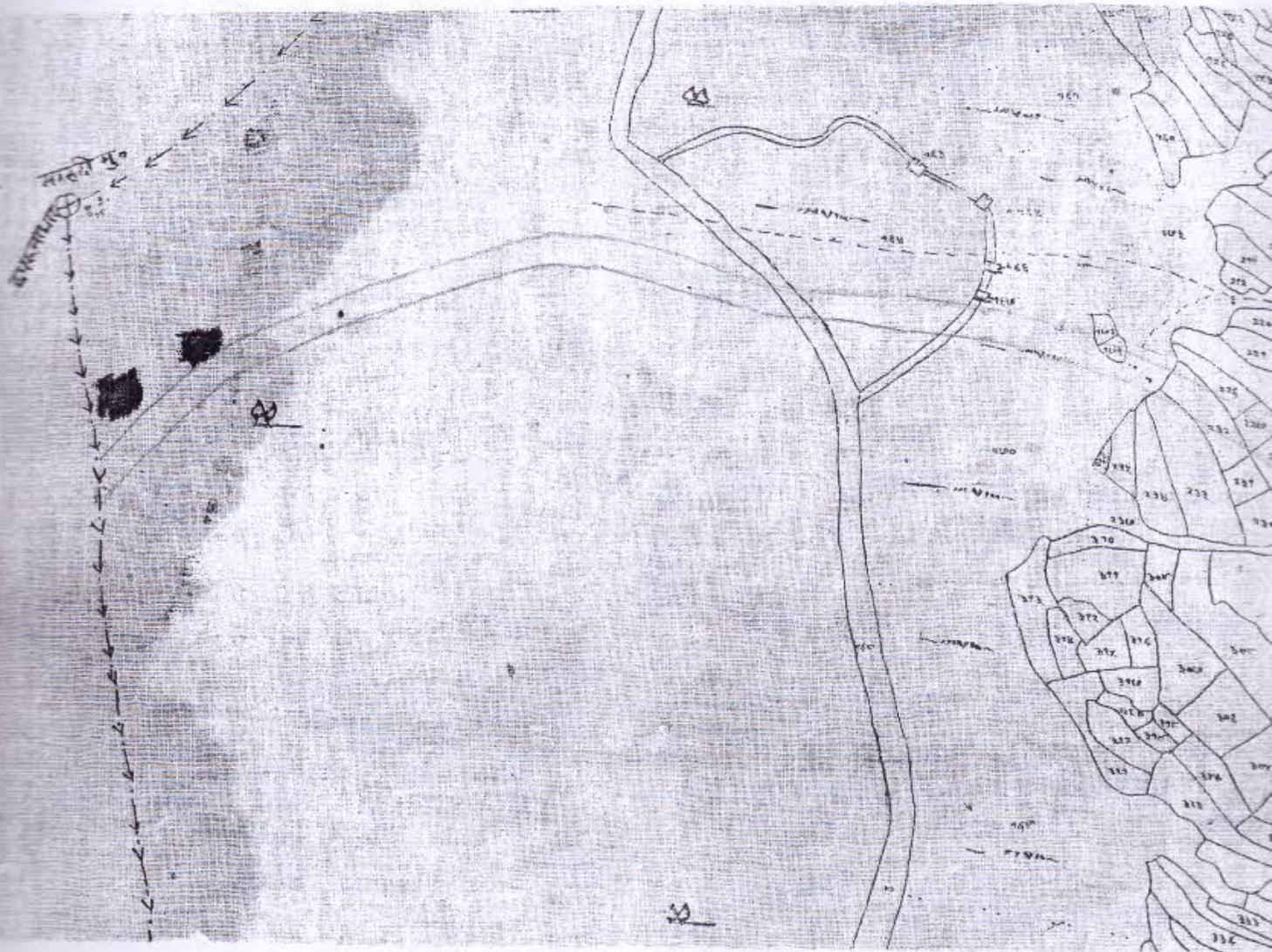
अमीन

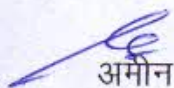
कनिष्ठ अभियन्ता

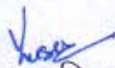
वैकल
वैकल

उपनिर्देशक

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव




अमोल


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि.वि. गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उप तहसीलधिकारी
कर्मचारी

अधिसायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनासंगत उन्नत कौज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव



अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

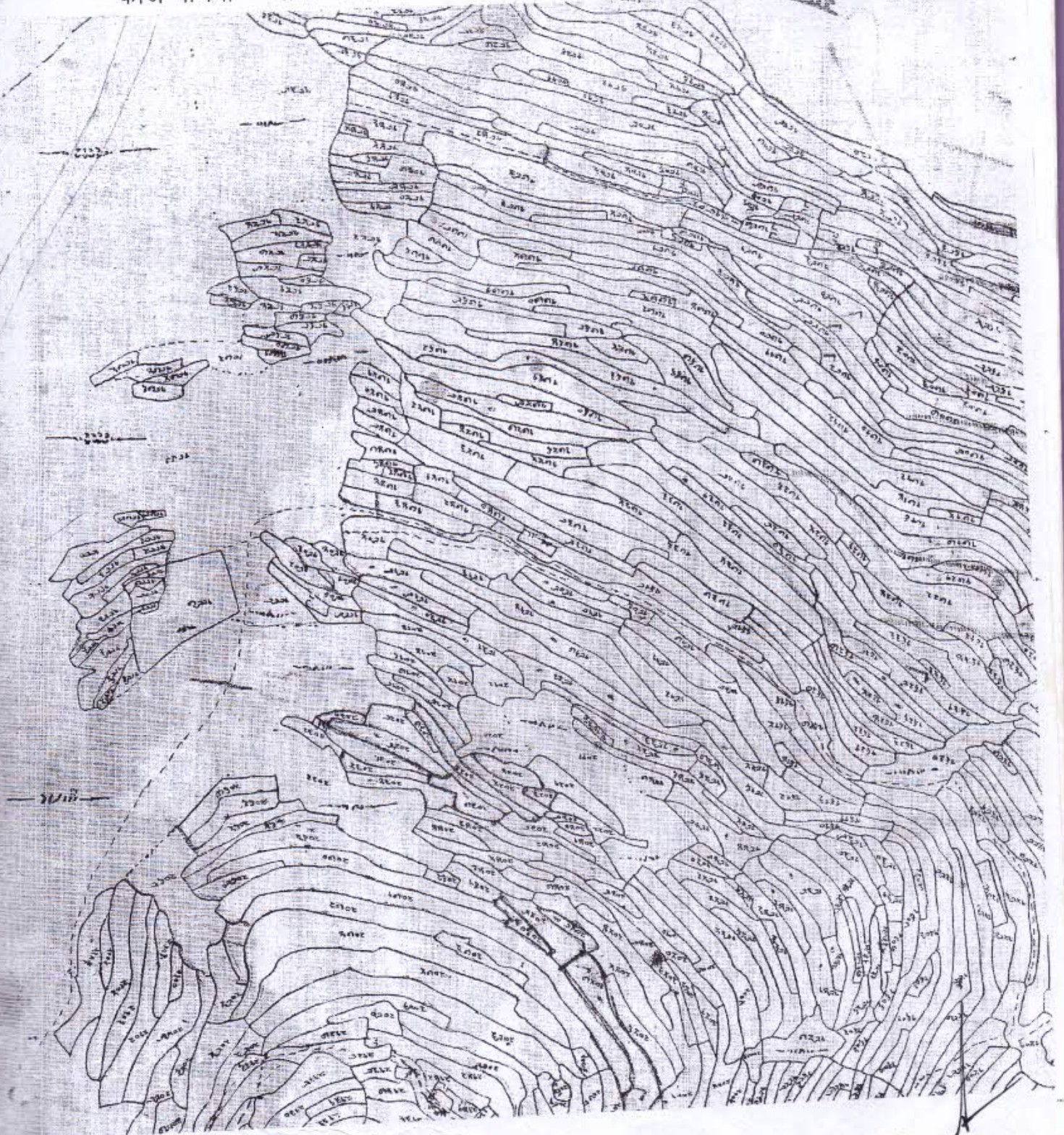
अधीशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभा
गोपेश्वर
सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि.वि. गोपेश्वर

पटवारी

चमोली

उपनिर्देशिका

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री कौंज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव



अधिरासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि.वि. गोपेश्वर

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

पटवारी

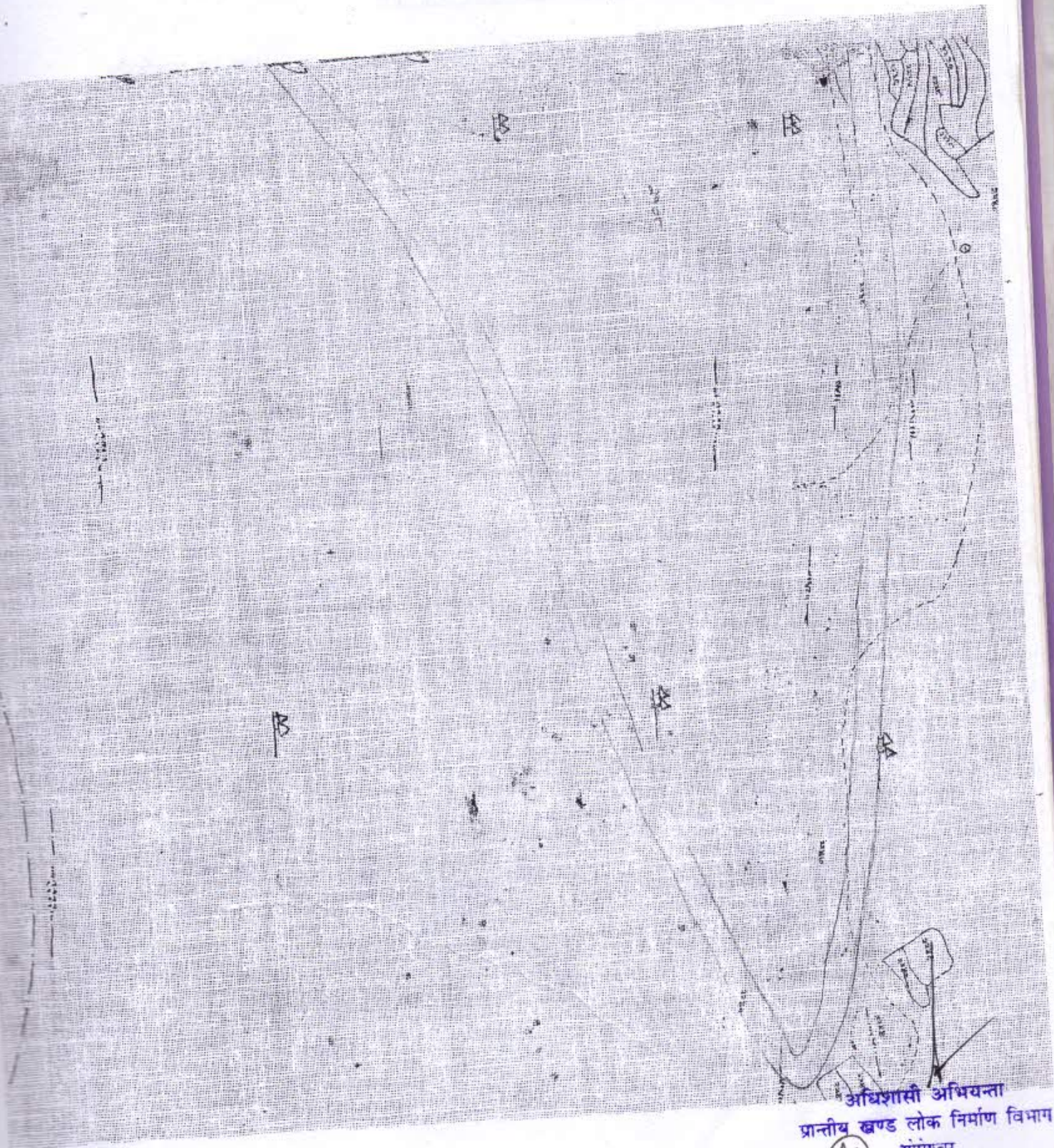
तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उपजिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
कर्मबाग

108

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी - बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव




अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर
सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि. गोपेश्वर


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


अधिसूची अभियन्ता

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 हेक्टेयर सिविल/वन पंचायत वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत रु0 68000-00 प्रति नाली की दर से कुल रु0 8636000-00 निर्धारित है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उप तहसीलधिकारी,
चमोली

गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(चमोली)


उप तहसीलदार,
उप जिलाधिकारी
चमोली

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल/वन पंचायत वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमोन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :-

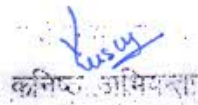
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनामार्गीत कुंजी से कौज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



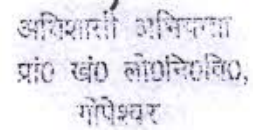
अधीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिसारी अभियन्ता
प्रति खंड लोडिंग/डिडिंग,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर